Mail 15/02/18

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

क्या रायपुर दिनांक 19 फरवरी, 2018

क्रमांक एफ 20–47/2013/11/(6) चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07.03.2015 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम – 2015' में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :–

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना के अध्याय–2 में पैरा–5 में कंडिका 2.5.5 के अंत में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाये अर्थात :–

"किन्तु एसे प्रकरणों में जिनमें भू–आबंटी इकाई द्वारा किसी औद्योगिक नीति के तहत अनुदान/छूट एवं रियायतें ली जाती है, उनमें ब्याज अनुदान/स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के लिए निष्पादित अनुबंध अनुसार उद्योग चालू रखने की वर्णित अवधि, दोनो में से जो भी अधिक हो, व्यतीत हो चुकी हो, द्वारा शवलीकरण (मूल उत्पाद के साथ नवीन उत्पाद जोड़ने) या मूल उत्पाद के स्थान पर नवीन उत्पाद प्रारभ करने के फलस्वरूप पट्टाभिलेखों में संशोधन कराया जाता है, तो उसमें लीजडीड में संशोधन के प्रयोजन हेतु भू–भाटक का पुनः निर्धारण नही किया जावेगा, मात्र संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट चार्जेस एवं अन्य देय करों का पुनः निर्धारण संशोधन दिनांक को संबंधित क्षेत्र के लिए प्रभावी प्रब्याजी की दरों के आधार पर सांकेतिक रूप से पुनः निर्धारण किया जावेगा।

किन्तु जिन प्रकरणों में उपरोक्तानुसार अपेक्षित अवधि समाप्त नही हुई है, उनमें लीजडीड संशोधन दिनांक पर प्रभावी भू–प्रब्याजी के आधार पर भू–भाटक, संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट चार्जेस एवं अन्य देय करों का सांकेतिक पुनः निर्धारण कर संशोधन उपरांत नये दरें लागू होंगी।"

(दो) उक्त अधिसूचना के अध्याय--3 में पैरा--5 में कंडिका 3.5 के अंत में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाये अर्थात :--

"परंतु, औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमों को औद्योगिक प्रयोजन के लिये पट्टाभिलेख के आधार पर आबंटित भूमि में शिकमी/उपपट्टे की अनुमति नही दी जावेगी किन्तु आद्योगिक क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर (भूमि बैंक) एवं आद्योगिक प्रयोजनों में संचालक उद्योग/प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी द्वारा व्यवसायिक प्रयोजन के लिए निर्धारित वेयर हाउस, लॉजिस्टिक हब/कोल्ड स्टोरेज के लिए आबंटित भूमि पर पट्टाभिलेख द्वारा निर्मित किये गये वेयर हाउस, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज की भौतिक संरचना (भूखंड का भाग नहीं) का संपूर्ण भाग/आंशिक भाग को मासिक किराये पर किसी अन्य व्यक्ति/ व्यवसायी/ संस्था/कृषक/शासकीय संस्थाओं/निगमों/संस्थाओं/सहकारी संस्थाओं/ कम्पनियों /व्यवसायिक संस्थाओं आदि को दिए जाने की अनुमति होगी, किन्तु प्रथम किराएदार को पुनः किराये पर अन्य किराएदार को दिए जाने का अधिकार नहीं होगा। इस हेतु मूल पट्टाग्रहिता एवं मासिक किराये के आधार पर स्थान लेने वाले के मध्य निर्धारित प्रारूप में युज एवं पे आधार पर किराए हेतु किरायेदारी अधिनियम (Tenancy Act) के अनुरूप अनुबंध का निष्पादन किया जा सकेगा किन्तु ऐसी किरायेदारी की अवधि व्यक्ति/व्यवसायी/ कृषक/व्यवसायिक संस्था को किराए पर देने के संदर्भ में उक्त किरायेदारी अधिनियम (Tenancy Act) में वर्णित अवधि से अधिक नहीं होगी, किन्तु भारत सरकार/राज्य शासन/राज्य शासन के निगम, संस्था/सहकारी संस्थाओं एवं सरकारी कंपनियों के मामले में यह अवधि 60 माह की हो सकती है। शासकीय अनुबंध का प्रारूप संचालक, उद्योग द्वारा पृथक से जारी किया जावेगा। ऐसी किरायेदारी की अनुमति संचालक उद्योग/प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी द्वारा उक्तानुसार व्यवसायिक प्रयोजन के लिए आबंटित भूमि पर ही अनुमति योग्य होगी। संचालक/प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी को यह अधिकारी होगा कि वह इस प्रकार के मासिक किराया के प्रकरणों के संदर्भ में यथा आवश्यक अतिरिक्त शर्तें लागू कर सकेगा।"

उपरोक्त प्रयोजन हेतु लीजडीड में भी एक कंडिका अंकित की जावेगी।"

886.

(तीन) उक्त अधिसूचना के अध्याय–4 में पैरा–2 के उप पैरा–स की अनुक्रमांक–12 के कालॅम–5 में कॉलम–4 के अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित संशोधन प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थात :–

4	5
भूमि की प्रब्याजि	"लघु उद्योग हेतु निर्धारित दरों की न्यूनतम चार गुना अथवा नीलामी दर जो भी अधिक हो"
भू–भाटक	लघु उद्योगो हेतु निर्धारित दरों का न्यूनतम चार गुना
संधारण शुल्क	लघु उद्योगो हेतु निर्धारित दरों का न्यूनतम चार गुना

शेष बिन्दु यथावत रहेंगें

(चार) उक्त अधिसूचना के अध्याय–2 में पैरा–9 के कंडिका –2.9.1 के अंत में निम्नलिखित परंतुक जोडा जाये अर्थात :–

"परंतु, निर्धारित अवधि में भू–आशय पत्र में अंकित राशि का भुगतान प्राप्त न होने पर तथा भू–आशय पत्र वैधता अवधि समाप्त होने के पूर्व इकाई के आवेदन पर अधिकतम तीन माह की अवधि तक बढ़ायी जा सकेगी, किन्तु वृद्धि की जा रही अवधि के लिए मूल देय राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करना होगा।

आशयपत्र में वर्णित 90 प्रतिशत प्रब्याजी की राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर निवेशक द्वारा मांगपत्र के आधार पर जमा करायी गई 10 प्रतिशत प्रब्याजी राशि में से सूक्ष्म, लघु उद्यम के मामले में 10 प्रतिशत अग्रिम प्रब्याजि राशि का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 50,000/– एवं मध्यम उद्यम मामले में 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रू.1,00,000/– तथा वृहद उद्यम के मामले में 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 5,00,000/– राजसात करते हुए अग्रिम प्रब्याजि की शेष राशि निवेशक को वापस किये जाने योग्य होगी।"

ये संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनाक से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वाणिज्य एव उद्योग विभाग

889

नया रायपुर दिनांक 9 फरवरी, 2018

पृष्ठा. क्र. एफ 20–47/2013/11/(6)

प्रतिलिपि :–

1. संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय छ0ग0 नया रायपुर
2. प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. उद्योग भवन, रायपुर
3. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।
4. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र .....

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग